रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 134] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 1988/फाल्गुन 17, 1909
No. 134] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 1988/PHALGUNA 17, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LIBRARY 1/88

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1988

अधिसूचना

सा.आ. 245(अ)—काली मिर्च निर्यात के लिए प्रतिषिद्ध है जब तक कि यह वाणिज्य कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अन्तर्गत बनाए गए मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार श्रेणीकृत न की गयी हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार का एगमार्क श्रेणीकरण का इस आशय का प्रमाणपत्र न हो;

और केन्द्रीय सरकार की निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि यह समीचीन है कि काली मिर्च को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन रखते हुए अधिसूचित किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, :—

1.(1) अधिसूचित करती है कि काली मिर्च का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा,

(2) मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1961 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो निर्यात से पूर्व ऐसी काली मिर्च को लागू होगा,

(3) काली मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1961 के अधीन बनाए गए श्रेणी अभिधानों को मान्यता देती है,

(4) काली मिर्च के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान उसके निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि वह उसको लागू मानक विनिर्देशों को पूरा न करती हो और उसके साथ भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किस, के द्वारा जारी किया गया निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न हो।

2. इस अधिसूचना की, कोई भी, बात भू-मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग द्वारा काली मिर्चों के ऐसे वाणिज्यिक नमूनों के निर्यात को, जो भार में 1 किलोग्राम से अधिक न हों, लागू नहीं होगी।

3. इस अधिसूचना में "काली मिर्च" से भारत में उत्पादित साबुत या चूर्णित काली मिर्च अभिप्रेत होगी।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 6(9)/88-ई.आई.एण्ड ई.पी.]

एम आर. शिवरामन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 7th March, 1988

NOTIFICATION

S.O. 245(E).—Whereas black pepper is prohibited for export unless such commodity has been graded in accordance with the provisions of the Pepper Grading and Marking Rules, 1961 made under section 3 of the Agriculture Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and is accompanied by a certificate of Agmark Grading to the effect from the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India :

And whereas the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, is of the opinion that it is expedient to notify black pepper subjecting the same to quality control and inspection prior to export ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, hereby :—

1. (1) notifies that black pepper shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies as type of inspection in accordance with the Peper Grading and Marking Rules, 1961 as the type of quality control and inspection which shall apply to such black pepper prior to export ;

(3) recognises the grade designations formulated under the Pepper Grading and Marking Rules, 1961 ;

(4) prohibits the export in the course of international trade of black pepper unless it conforms to the standard specifications applicable to it and is accompanied by a certificate of inspection issued by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or by any of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

2. Nothing in this notification shall apply to export by sea, land or air of commercial samples of black pepper not exceeding one kilogram in weight (net).

3. In this notification "black pepper" shall mean the black pepper whether whole or powder produced in India.

4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 6 (9) |88-EI&EP]

M. R. SIVARAMAN, Jt. Secy.

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988